रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

के साथ भाण्डागार के पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रतिभूति जमा

सं. डब्लूडीआरए/2017/1-1(1)/तकनीकी.—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ज) एवं (त) और भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) एतदद्वारा प्राधिकरण के साथ भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रतिभूति जमा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करता है :

1. भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) के साथ भाण्डागार(रों) के पंजीकरण का अनुरोध करने वाले आवेदक भाण्डागार/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्लूएसपी) द्वारा, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में प्राधिकरण से सूचना जारी होने के 21 कार्य दिवस के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी।

2. यदि आवेदक उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो, आवेदन को निरस्त माना जाएगा बशर्ते प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि आवेदक द्वारा 21 कार्य दिवस की उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत न करने हेतु पर्याप्त कारण मौजूद था | उस स्थिति में आवेदक को प्राधिकरण के निर्णयानुसार विस्तारित अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी |

3. यदि आवेदक नीचे निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है तो, प्राधिकरण भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में 5 कार्य दिवस के भीतर आवेदक को भाण्डागार के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4. आवेदक या भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि तथा तरीके का ब्यौरा निम्नवत है:

(i) भाण्डागारपाल भाण्डागार के पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा धारित प्रतिभूति जमा को बनाए रखेगा। प्रतिभूति जमा का मूल्य नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कॉलम क, ख तथा ग की कुल राशि होगी (यहां भाण्डागारपाल के सभी पंजीकृत भाण्डागारों हेतु पिछली तिमाही में जारी कुल परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का उच्चतम मूल्य 'टी' के रूप में संदर्भित किया गया है):

स्लैब	क	ख	ग
'टी' 25 करोड़ रुपए या इससे कम है	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 25 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए तक है	75 लाख रुपए	25 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 250 करोड़ रुपए से अधिक और 2,500 करोड़ रुपए तक है	4.125 करोड़ रुपए	250 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है	26.625 करोड़ रुपए	2,500 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार

(ii) प्रतिभूति जमा प्रत्येक तिमाही के अंत में अद्यतन कर इसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत पावती दी जाएगी।

(iii) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।

(iv) जहां आवेदक/भाण्डागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या कोई सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रुपए (निर्धारित) प्रति भाण्डागार होगी।

(v) प्रतिभूति जमा पंजीकरण की समाप्ति से 6 माह तक पहली अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में होगी।

(vi) प्राधिकरण संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानसभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय को दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध करवाने की अनुमति दे सकता है।

(vii) प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

(viii) प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा।

(ix) प्राधिकरण किसी भण्डागार की प्रतिभूति जमा वापस करेगा, यदि:

क. भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

ख. कोई भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा

ग. किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।

(x) उपर्युक्त (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रतिभूति जमा के ऐसे किसी संशोधन के बावजूद, यदि कोई है, भाण्डागारपाल उन्हें जारी परक्राम्य भाण्डागार रसीदों की वैध अवधि में जमाकर्ताओं को देय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा।

प्रथम अनुसूची

(भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए)
एनसीयूआई भवन (चौथा तल),
3, सीरी इन्स्टीटयूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016
(यथा लागू स्टाम्प शुल्क के साथ)

हमारा गारंटी पत्र सं. - ....

1. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसका कार्यालय एनसीयूआई परिसर (चौथा तल), 3, इन्स्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली - 110016 (भारत) (जिसे इसके बाद यहाँ " डब्लूडीआरए" कहा गया है, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे) में अवस्थित है और जिसने मैसर्स .... से संबन्धित भाण्डागारों (इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची के अनुसार) के पंजीकरण प्रदान करने पर विचार किया है / प्रदान किया है (जिसे इसके बाद यहाँ "भाण्डागारपाल" कहा गया है, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।

2. जबकि भाण्डागारपाल भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 (जिसे इसके बाद यहाँ नियम कहा गया है) में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भाण्डागार व्यवसाय के संचालन को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और डब्लूडीआरए के साथ पूर्ण पंजीकरण के विश्वसनीय निष्पादन हेतु ....रूपए (.. रूपए मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा डब्लूडीआरए को प्रस्तुत करने पर सहमत हुआ है, हम .... (जिसे एतदपश्चात "बैंक" कहा गया है) भाण्डागारपाल के अनुरोध पर एतदद्वारा नियमों और "डब्लूडीआरए के भाण्डागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा की आवश्यकता" संबंधी दिनांक .... की अधिसूचना सं. .... (जिसे एतदपश्चात अधिसूचना कहा गया है) में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से भाण्डागारपाल द्वारा किसी के उल्लघंन के मामले में परक्राम्य भाण्डागार रसीदों के धारक को होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए.............................. रूपए से अधिक न होने वाली राशि डब्लूडीआरए को अदा करने का वचन देते हैं।

3. हम.. (बैंक का नाम) एतदद्वारा इस गारंटी के अंतर्गत देय तथा भुगतान योग्य राशि को बिना किसी विलंब के डब्लूडीआरए के यह कहते हुए मांग किए जाने पर कि दावा की गई राशि नियमों तथा अधिसूचना में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से किसी शर्त के भाण्डागारपाल द्वारा किए गए उल्लंघन के चलते परक्राम्य भाण्डागार रसीद के धारक को होने वाली हानि या क्षति के कारण है, उसे अदा करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अंतर्गत बैंक को की गई ऐसी कोई भी मांग बैंक द्वारा देय तथा भुगतान योग्य किसी राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता .... रूपए की राशि से अधिक की नहीं होगी।

4. हम डब्लूडीआरए को इस प्रकार मांग की गई कोई भी राशि अदा करने का वचन देते हैं, बावजूद इसके कि भाण्डागारपाल ने किसी न्यायालय अथवा अभिकरण के समक्ष तत्संबंधी किसी वाद या कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों को उठाया हुआ है, इसके अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण तथा स्पष्ट है। इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान अथवा तत्संबंधी भुगतान हेतु देयता के लिए एक वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने पर भाण्डागारपाल का हमारे प्रति कोई दावा नहीं होगा।

5. हम ....(बैंक का नाम) आगे इसके लिए भी सहमत होते हैं कि डब्लूडीआरए के पास हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारे दायित्वों को किसी तरीके से प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने या समय-समय पर भाण्डागारपाल द्वारा निष्पादन के समय में विस्तार करने अथवा समय-समय पर डब्लूडीआरए द्वारा भाण्डागारपाल के विरूद्ध की जाने वाली शक्तियों के प्रयोग को स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को रोकने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम उक्त अनुबंध से संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत अपनी

देयता से मुक्त नहीं होंगे तथा हम डब्लूडीआरए की ओर से भाण्डागारपाल को प्रदान किए गए ऐसे किसी अंतर, या विस्तार अथवा डब्लूडीआरए की ओर से कोई रोक, कृत्य या चूक अथवा भाण्डागारपाल के साथ डब्लूडीआरए के किसी कृत्य में शामिल होने अथवा किसी भी अन्य मामले या घटना से, जिसके अंतर्गत जमानत देने वालों से संबंधित कानूनों का प्रभाव हमें मुक्त करेगा, बशर्ते यह प्रावधान न हो।

6. यह गारंटी बैंक या भाण्डागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण निरस्त नहीं होगी।

7. हम...................................... (बैंक का नाम) अंततः इस गारंटी को डब्लूडीआरए की पूर्व स्वीकृति लिखित में प्राप्त होने तक वापिस न लेने का वचन देते हैं|

8. यहां कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी :-

i) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता .... (.................................रुपए मात्र) है।

ii) यह बैंक गारंटी ....तक वैध है और

iii) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी गारंटीशुदा राशि या उसके किसी अंश का भुगतान केवल तब तक करने का दायित्व रखते हैं जब तक डब्लूडीआरए हमें ....(गारंटी की समाप्ति की तिथि) को या उससे पूर्व लिखित में दावा या मांग भेजे।

दिनांक .... माह............. 20.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंधक का नाम

कृते **(बैंक का नाम)**

शाखा

बैंक की मुहर

द्वितीय अनुसूची

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को ....20..... को ....(संसद या राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया कोई निकाय, जिसे एतदपश्चात "निकाय" कहा गया है, द्वारा भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए), जिसे एतदपश्चात "प्राधिकरण " कहा गया है, के पक्ष में विलेख द्वारा निष्पादित किया गया है।

जबकि :

क) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) की स्थापना भाण्डागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 2007) के अंतर्गत भाण्डागारों के विकास, भाण्डागार रसीदों के परक्राम्य के विनियमन और भाण्डागार व्यवसाय की व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। परक्राम्य रसीदों को जारी करके किसी भाण्डगार के रखरखाव के व्यवसाय को प्रारंभ करने या जारी रखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकृत होना अपेक्षित होता है और इस प्रयोजन हेतु "अधिनियम, 2007 " के अंतर्गत डब्लूडीआरए (प्राधिकरण) को आवेदन दिया जाना होता है।

ख) अपने भाण्डागार का पंजीकरण करवाने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी) से प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के 21 दिवस के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

ग) भाण्डागारपाल द्वारा प्रतिभूति जमा (डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में) के रूप में जमा करवाई जाने और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में अद्यतन की जाने वाली राशि निम्नवत हैं -

स्लैब	**क**	**ख**	**ग**
'टी' 25 करोड़ रुपए या इससे कम है	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 25 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए तक है	75 लाख रुपए	25 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 250 करोड़ रुपए से अधिक और 2,500 करोड़ रुपए तक है	4.125 करोड़ रुपए	250 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार
'टी' 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है	26.625 करोड़ रुपए	2,500 करोड़ रुपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रुपए प्रति भाण्डागार

टिप्पणी : यहां भाण्डागारपाल के सभी पंजीकृत भाण्डागारों हेतु पिछली तिमाही में ज़ारी कुल परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का उच्चतम मूल्य "टी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

घ) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के 6 माह बाद तक अथवा प्रत्येक दावे की संतुष्टि तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा की राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

ङ) चूंकि प्राधिकरण संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधानसभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय को जो भाण्डागार के रखरखाव और परक्राम्य भाण्डागार रसीद को जारी करने का व्यवसाय कर रहा है, प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय किया गया ऐसा कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल का एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

अतः अब ____________________ अधिनियम के तहत स्थापित मैसर्स ________________________ (निकाय का नाम), इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की नीचे दी गई शर्तों के अनुसार उक्त पैरा "ग" के अंतर्गत विहित सीमाओं की सीमा तक की राशि, चाहे कुछ भी हो, हेतु हर समय प्राधिकरण अर्थात डब्ल्यूडीआरए को सभी कारवाई, वाद, कार्यवाही, लेखे, दावे तथा मांग, जो कोई भी हो, के प्रति बचाने, बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है तथा इसके लिए वचन देता है कि :-

1) प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उसकी ओर से निष्पादित की जाने वाली सभी बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।

2) पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने (उक्त पैरा "ग" में तालिका में उल्लिखित राशि हेतु) का वचन देता है।

3) किसी भाण्डागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त तब माना जाएगा, यदि -

क. भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपनी दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

ख. यदि भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा

ग. यदि किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।

4) निकाय, परक्राम्य भाण्डागार रसीद की अवधि के भीतर जमाकर्ताओं द्वारा देय दरों में वृद्धि न करने का वचन देता है।

निकाय एतद्द्वारा सहमत है कि प्राधिकरण को होने वाली हानि/ क्षति (उक्त पैरा "ग" की सीमा तक) की उसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

निम्नांकित के साक्ष्यांकन में इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को दिनांक ...... 20... को निष्पादित किया गया।

निष्पादक

नाम

पद

संगठन

साक्षियों की उपस्थिति में -

1)

2)

गणेश अ. वाकडे , निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. /137/17]